अनुसूची - पांच (क)

(250 / - के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए) (छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतू बन्धत पत्र (बाण्ड्) का प्रारूप)

.....छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

NEET - UG 2. यह कि मुझे वर्ष 2024. में आयोजित "पीएमटी-......" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनाद्रगलमें शैक्षणिक सत्र 2020-25 में MBBS सीट आबंटित की गई है ।

3. यह कि वर्ष 2024 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका !!!..... जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली-भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

> 4. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता / करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

> 5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।

यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व विकरण ालेखें, यादि 6. मकान हे ता मकान अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... का पता, रवसरा ने... मार्डज़ का अनुमानितकी चल व अचल पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री......) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की यदि जमीन / भ्रामि ह ते। रवस्य एव रक्ता गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की न. एव अनुभानित जावेगी।

7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

> * अनाराहीत भ्रेणी अम्यर्गी हेर्नु - २५ लाख रूपये आग्राहीत जेली सम्पर्धी हेत्र - २०लाख रूपये


358 (24)

संपत्नि जा पूरा

नुत्य

Hey

- अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् में संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त 8. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तूत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
- एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः 9. माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
- 10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा



प्रतिभूतिकर्ता

मैं......निवासीनिवासी

......उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में

उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यिथियों हेतु)

(250/- के नानज्योडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

- - 2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
 - 3. मैं एतद द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :--
 - (क) मेरा पुत्र / पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वाख्थ्य केन्द्र / संस्था में कार्य करेगा / करेगी।
 - (ख) मेरा पुत्र / पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
 - (ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे।
 - (घ) यदि मेरे पुत्र / पुत्री के द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र 2024 25 हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रू. 25 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रू. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

नं भावक	अभिभावक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	हस्ताक्षर
	अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता	

पता

फोन अभि

प्रतिभूतिकर्ता

गवाह	के	हस्ताक्षर	नाम	एवं	पता	सहित	3	-
------	----	-----------	-----	-----	-----	------	---	---

गवाह नं. 01 का फोटो	गवाह नं. 02 का फोटो	
1. गवाह	2. गवाह	
	01 का फोटो	01 का 02 का फोटो फोटो

नाम :....

पता :.....

.....

.....

.....

(50/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

शपथ-पत्र

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में आबंटित अम्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

मेरे द्वारा स्कुटनी में प्रस्तुत किये मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेज मेरी जानकारी अनुसार सत्य और सही है यदि इनमें कोई दस्तावेज असत्य/झूठे पाये जाते है तो मेरी जिम्मेदारी होगी तथा मेरे द्वारा कोई भी सुसंगत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

उपरोक्त में यदि कोई न्यूनतः या झूठे प्रमाण पत्र पाये जाते है तो मेरा प्रवेश निरस्त सहित आवश्यक अपराधिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा तथा मूझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर

... हस्ताक्षर , हामि, पता

आवेदक/निष्पादनकर्ता

हस्ताक्षर नामा, पता

गवाह नं. गवाह नं. 2 का 1 का फोटो

गवाह :--

1.



नोट : एक गवाह आवेदक पालक/माता/पिता में से कोई एक होना आवश्यक है।

अन्छमादित

at Section/Year 2013/PMT & Pre PO/PMT/PMT 2017/Letter NEET - 2017.docs

Scanned by CamScanner

[भाग]]]-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

RS-STAMP) 20

अनुलग्नक–Ш

3

माता-पिता/अभिमायक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1.	श्री/श्रीमती/सुश्री (माता-पिता/अभिमायक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके
	प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिमावक, जिसके छात्र को
	प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों
	(जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह
	समझ लिया है।

2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।

3. मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिप्रे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के बढयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरूद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह मागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।

मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आखासन देता/देती हूँ कि......

(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख) मेरी संतान जान बुझकर अध्यवा मूलचुक से ऐसे किसी कृत्व में न तो संलिप्त होगी अध्यवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. एतद्दारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की घारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा–तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अधवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।

6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोबी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा बडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया	दिन	माह	বৰ্ষ	
K-4				14

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

पताः दूरभाव सं./मो. मं:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयर्थाय कही गई है।

सत्यापित (स्थान) दिन वर्ष	सत्यापित	(स्थान)		दिन		माह		वर्ष	
---------------------------	----------	---------	--	-----	--	-----	--	------	--

रापधकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

(RS-20 STAMP)

अनुलग्नक-]

छात्र का आश्वासन

	भी/भीमती/सुभी (प्रपर/ प्रजयरण/ नामाकन सख्या क साथ हा छात्र को पूरी नाम) सुपुत्र/सुपुत्रा/ भी/भीमती/सुभी जिसे में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।	
2	. मैंने, विरोब रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा नुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलिति हैं।	3
3.	मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डालक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में बढ्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।	
4.	मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि	
	(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की घारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।	
	(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अधवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके पड्यन्त्र में अधवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्व को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।	
5.	में, एतदद्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की घारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरूद्ध की जा सकती है।	
6.	मैं घोषित करता / करती हूँ कि इस देश के किसी भी संख्यान ने, मुझे शैंगेंग के बड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है-और मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।	
घो	षित किया गया दिन	

रापथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

रापधकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

Documents for admission in MBBS -2024 (State Quota)

(Kindly Arrange documents Serial wise)

- 1 Admission Profile
- 2 Allotment Letter (issued by MCC)
- 3 Admit Card (issued by NTA)
- 4 Confirmation Page (Issued by NTA)
- 5 Rank Letter/Result (issued by NTA)
- 6 10th Marksheet
- 7 12th Martksheet
- 8 Transfer & Character Certificate or Migration Certificate
- 9 Caste Certificate (if applicable, in Prescribed Format)
- 10 Income Certificate (Income cetificate withing last 3 years for OBC)
- 11 Domicile Certificate (in Prescribed Format)
- 12 EWS Certificate
- 13 Physically Handicaped Certificate (issued by State Medical Board CG). (if required)
- 14 Freedome Fighter Certificate (issued by Collectorate in prescribed format (if required)
- 15 Armed forces certificate (if required, in prescribed format)
- 16 Rural Service Bond (in Prescribed format)
- 17 Discontinuation Bond (in prescribed format)
- 18 Affidavite (for Document in prescribed format)
- 19 Affidavite (for Antiragging in prescribed format)
- 20 Medical Fitness Certificate (issued by District Medical Board/Alloted institute hospital)
- 21 Self attested photocopy of Aadhar Card or other ID Card
- 22 6 Passport size photo

Note- 2 Set Photo Copies of Above Documents

Fee Payment

- 1 D.D. of Rs.- 40,000/- in Favor of, DEAN, BRABB MEDICAL COLLEGE RAJNANDGAON
- 2 D.D. of Rs.- 10,000/- in Favor of, DEAN, BRABB MEDICAL COLLEGE RAJNANDGAON

Documents for admission in MBBS -2024 (All India Quota)

(Kindly Arrange documents Serial wise)

- 1 Admission Profile
- 2 Allotment Letter (issued by MCC)
- 3 Admit Card (issued by NTA)
- 4 Confirmation Page (Issued by NTA)
- 5 Rank Letter/Result (issued by NTA)
- 6 10th Marksheet
- 7 12th Martksheet
- 8 Transfer & Character Certificate or Migration Certificate
- 9 Caste Certificate (if applicable, in Prescribed Format)
- 10 EWS Certificate
- 11 Physically Handicaped Certificate (issued by Authorised Board). (if required)
- 12 Rural Service Bond (in Prescribed format)
- 13 Discontinuation Bond (in prescribed format)
- 14 Affidavite (for Document in prescribed format)
- 15 Affidavite (for Antiragging in prescribed format)
- 16 Medical Fitness Certificate (issued by District Medical Board/Alloted institute hospital)
- 17 Self attested photocopy of Aadhar Card or other ID Card
- 18 6 Passport size photo

Note- 2 Set Photo Copies of Above Documents

Fee Payment

- 1 D.D. of Rs.- 40,000/- in Favor of, DEAN, BRABB MEDICAL COLLEGE RAJNANDGAON
- 2 D.D. of Rs.- 10,000/- in Favor of, DEAN, BRABB MEDICAL COLLEGE RAJNANDGAON